मिसल मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 128 L.R. Act. नं. 150 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
31/5/23	प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने आवश्यक प्रवृति का होने के कारण एवं बारिश होने, फसल बोने के बाद पत्थरगढी किया जाना सम्भव नही है। अतः उन्होने निवेदन किया एक पक्षीय कार्य वाही करते हुए पत्थरगढी के आदेश किया जावे। हमने पत्रावली का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 का भी अध्ययन किया । **''सीमा विवाद–सीमाओ से सम्बन्धित सभी विवाद भू–अभिलेख अधिकार द्वारा धारा 111 से अधिकथित रीति से विनिश्चित किये जायेगें।''** **'परन्तु खेतो की सीमाओ सम्बन्धित** आवेदन **उन मामलो में तहसीलदार को दिये जायेगे और उसके द्वारा निपटाये जायेंगे जहॉ ऐसी सीमाओं के बारे मे कोई विवाद नहीं है किन्तु समुचित** सीमा चिन्ह की अभाव **में ऐसा विवाद उठने की संभावना है।'** हम यह मानते है कि पत्थरगढी/सीमा ज्ञान का कार्य फसल कटने के बाद किया जाता है । माह मई और जून मे मौके पर खेत खाली होने के कारण पत्थरगढी हेतु यह समय उपयुक्त हैं विपक्षी को नोटिस तामिल कराने में समय लगने की संभावना होने के कारण तहसीलदार निम्बाहेडा दोनो पक्षो की उपस्थिति में पत्थरगढी किया जाना एंव विवाद होने की स्थिति मे पत्थरगढी न्यायालय द्वारा सुनवायी की जाकर, किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार को मोका कमीश्नर इस आशय से नियुक्त किया जाता है कि दोनो पक्षो को समूचित सूचना पत्र जारी करते हुए दोनो पक्षो की उपस्थिति मे पत्थरगढी किया जाना सुनिश्चत करें कि दोनो पक्षो मे विवाद होने की स्थिति में या विपक्षी द्वारा असहमति प्रकट करने की स्थिति में या विपक्षी द्वारा अपना पक्ष लिखित रखने की स्थिति मे तहसीलदार निम्बाहेडा को दोनो पक्षो को इस बाबत समूचित सूचित करे कि दिनांक 26-6-23 को न्यायालय हाजा उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा मे प्रस्तुत करें । पत्रावली वास्ते तहसीलदार की वस्तु स्थिति रिपोर्ट, पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट हेतु दिनांक 26-6-23 को पेश हो ।	
28/6/23	पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा रिपोर्ट पालना प्राप्त। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी की गई। अब पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। हमने पत्रावली [illegible] तहसीलदार द्वारा प्राप्त पालना रिपोर्ट का ध्यान[illegible] अवलोकन किया। पत्रावली मे अब कोई कार्यवाही [illegible] नहीं होने के कारण पत्रावली फैसल [illegible] दाखिल दफ्तर [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:03:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा